



### अधिसूचना

इसके द्वारा सभी संबंधित/पणधारियों के ध्यान में लाया जाता है कि वर्तमान में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (केमाशिबो) में परिवार की दो बालिकाओं या इकलौती बालिका (केवल बालक) के लिए शुल्क रियायत/अधित्याग करने का कोई प्रावधान नहीं है।

तथापि, परिपत्र सं. केमाशिबो/संब./527590-532939/2006 दिनांक 22.03.2006 के अनुसार, (i) सभी केंद्रीय विद्यालय कक्षा VI से XII तक इकलौती बालिका को (भोजन एवं परिवहन को छोड़कर) शुल्क अधित्याग देना जारी रखेंगे तथा (ii) स्वतंत्र/प्राइवेट विद्यालय शुल्क रियायत/शुल्क अधित्याग प्रदान करने के लिए विचार कर सकते हैं। यह समझा जा सकता है कि यद्यपि स्वतंत्र/प्राइवेट विद्यालयों के लिए ये बाध्यता नहीं हैं, परंतु वे अपने विवेक पर शुल्क रियायत/शुल्क अधित्याग कर सकते हैं।

सभी संबंधित/पणधारियों को यह सूचित किया जाता है कि परिपत्र संख्या केमाशिबो/संब./ 2005 दिनांक 15.10.2005 के अधिक्रमण में इकलौती बालिका के लिए केमाशिबो ने केमाशिबो मेरिट छात्रवृत्ति के नाम से छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की है। इसका विवरण बोर्ड की वेबसाइट यथा [www.cbse.nic.in](http://www.cbse.nic.in) पर छात्रवृत्ति लिंक पर उपलब्ध है।

इस संबंध में आगे कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

सचिव, केमाशिबो

"शिक्षा केन्द्र", 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली -110092

"Shiksha Kendra" 2, Community Centre, Preet Vihar, Delhi - 110092

फोन/ Telephone: +91-11-22509256, +91-11-22509257 वेबसाइट / Website : [www.cbse.nic.in](http://www.cbse.nic.in)





**NOTIFICATION**

This is to bring to notice of all concerned/ stakeholders that at present Central Board of Secondary Education (CBSE) has no provision of providing fee concessions/ waiver to single girl child (only child) or two girls of the family.

However, as per Circular No. CBSE/AFF/527590-532939/2006 dated 22.03.2006 i) all the Kendriya Vidyalaya would continue to give fee waiver to single girl children (except the meals and transportation fee) from class VI to XII & ii) the independent/ private schools may consider for extending fee concession/ fee waiver. It is understood that the independent/ private schools are though not bound but may at their discretion extend fee concession/ fee waiver.

It is also informed to all concerned/ stakeholders that in supersession of Circular No. CBSE/AFF/2005 dated 15.10.2005, the CBSE has launched a Scholarship Scheme in the name CBSE's Merit Scholarship for Single Girl Child. The detail of which is available on Board's website i.e. [www.cbse.nic.in](http://www.cbse.nic.in) at Scholarship link.

No further correspondence in this regard will be entertained.

Secretary, CBSE

**“शिक्षा केन्द्र”, 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली -110092**

**“Shiksha Kendra” 2, Community Centre, Preet Vihar, Delhi - 110092**

फोन / Telephone: +91-11-22509256, +91-11-22509257 वेबसाइट / Website : [www.cbse.nic.in](http://www.cbse.nic.in)